ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

The 16th January, 1989

No. 857-AH-5-88/385.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule I of the Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rules, 1965, the Governor of Haryana hereby appoints the date of publication of this notification in the official Gazette, to be the date for the purpose of the said sub-rule.

M. S. RATHEE,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana.
Animal Husbandry Department.

पशु पालन विभाग

दिनांक 16 जनवरी, 1989

सं० 857-प०प०-5/88/385.—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (नालबन्दी-अनुज्ञापन) नियम, 1965, के नियम 1 के उपनियम (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को उक्त उपनियम के प्रयोजन के लिये तिथि नियत करते हैं।

एम० एस० राठी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशु पालन विभग।

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

The 16th January, 1989

No. 857-AH-2/88/397.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule I of the Prevention of Cruelty to Animals (Licensing of Farriers) Rules, 1965, the Governor of Haryana hereby appoints the date of publication of this notification in the official Gazette, to be the date for the purpose of the said sub-rule.

M. S. RATHEE,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandry Department.

पशु पालन विभाग

दिनांक 16 जनवरी, 1989

सं० 857-प०प०-2-88/397.—लद्दू तथा भारवाही पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण नियम, 1965, के नियम 1 के उपनियम (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को उक्त उपनियम 9 के प्रयोजन के लिये तिथि नियत करते हैं।

एम० एस० राठी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशु पालन विभग।

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

The 16th January, 1989

No. 857-AH-2-88/401.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule I of the Performing Animals Rules, 1973, the Governor of Haryana hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette, to be the date for the purpose of said sub-rule.

M. S. RATHEE,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandry Department.

पशु पालन विभाग

दिनांक 16 जनवरी, 1989

सं० 857-प०प०-2-88/401.—करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973, के नियम 1 के उपनियम (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन करने की तिथि को उक्त उपनियम के प्रयोजन के लिए तिथि नियत करते हैं।

एम० एस० राठी,
आयुक्त एवं सचिव,
पशु पालन विभाग।

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

The 5th January, 1989

No. 1/15/88-1PP.—In partial modification of the notification issued by Haryana Government,—*vide* No. 1/15/88-1PP, dated 22nd November, 1988, the Governor of Haryana is pleased to substitute the following terms and conditions therein governing the appointment of Shri Sanjeet Singh, Press Secretary (Political) to the Chief Minister, Haryana, as under :—

3. (iii) Touring	..	Touring exceeding 10 days in any calendar month will be with the approval of Finance Department.
5. Remuneration	..	Shri Sanjeet Singh will be paid Rs. 2,100 (Rs. Two thousand and one hundred only) as remuneration per month, by the Public Relations Department.

Notification No. 1/15/88-1PP, dated 22nd November, 1988, issues with the concurrence of Finance Department conveyed,—*vide* their U.O. No. 6/62/87-4FGI/2708, dated 30th December, 1988.

S. K. SHARMA, Commn. & Secy.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(IRRIGATION BRANCH)

The 20th January, 1989

No. 23/1/88-1W(4).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974, the Governor of Haryana hereby declares that Shri H. L. Mehta, Superintending Engineer, Hissar Bhakra Canal Circle, Hissar, exercising the powers of the Superintending Canal Officer, to be the Superintending Canal Officer, for deciding the revision petitions No. 36/87 and 37/87 relating to amendment of warabandi of outlet RD 28, 100-L and RD 35, 500 L of Maujgarh Distributory after the decision of Shri K. C. Munjhal, Divisional Canal Officer, Rori Division, Sirsa, pending before the Superintending Canal Officer, Sirsa Bhakra Canal Circle, Sirsa.

H. D. BANSAL,
Financial Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Irrigation and Powers Department.

लोक निर्माण विभाग

(सिंचाई शाखा)

दिनांक 20 जनवरी, 1989

संख्या 23/1/88-सि० कार्य (4).—हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974, की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि श्री एच० एल० मेहता, अधीक्षक अभियन्ता, हिसार भाखड़ा नहर परिमण्डल, हिसार अधीक्षक नहर अधिकारी की शक्तियों

का प्रयोग करते हुए अधीक्षण नहर अधिकारी, सिरसा-भाखड़ा नहर परिमण्डल, सिरसा, के समक्ष संम्बित पुनरीक्षण वाचिका सं० 36/87 तथा 37/87 का विनिश्चय करन के लिए श्री के. सी. मुंजाल, मण्डल नहर अधिकारी, रोड़ी के मौजगढ़ वितरक नदी मोगा आर डी 28, 100-एल तथा आर डी 35, 500-एल की वाराबन्दी के संशोधम सम्बन्धी विनिश्चय के पश्चात् विरुद्ध अधीक्षण नहर अधिकारी, सिरसा, के रूप में कार्य करेंगे।

एच. डी. बंसल,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई विभाग।

IRRIGATION DEPARTMENT

The 23rd January, 1989

No. 20/3/86-IW(3).—In continuation of Haryana Government Notification No. 20/3/86-IW(3), dated the 9th May, 1988, and notification of even number dated 17th November, 1988, the Governor of Haryana is pleased to nominate the following eight persons as non-official members on the State Irrigation Advisory Committee with immediate effect :—

1. Shri Sada Nand, Sarpanch, V&P.O. Kharak Punia, Tehsil Hansi, District Hissar.
2. Dr. Hardev Singh, Sarpanch, V&P.O. Haibat Pur, Tehsil Hansi, District Hissar.
3. Shri Raj Singh, Advocate. Palwal, District Faridabad.
4. Shri Sat Narain Lather, V&P.O. Julana, District Jind.
5. Shri Sudarshan Chetal, B.E., Chetal Niwas, Rampura, Hissar.
6. Shri Nafe Singh, V&P.O. Baroda, Tehsil Gohana, District Sonepat.
7. Shri Shamsher Singh, V&P.O. Narar, Tehsil Kaithal, District Kurukshetra.
8. Shri Balbir Singh, c/o Shri Mange Ram, M.L.A., Bahadurgarh, District Rohtak.

H. D. BANSAL,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Irrigation and Power Departments.

स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 17 जनवरी, 1989

संख्या 46/14/80-5 स्वा० वा०II.—चूंकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि हरियाणा राज्य में भयानक महामारी अर्थात संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) फैलने का खतरा है और इस प्रयोजन के लिये इस समय लागू विधि के साधारण उपाय अपर्याप्त हैं ;

इसलिये, अब, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा--

(I) उपायुक्तों को उनके अपने-अपने जिलों के क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) किन्हीं निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों या पेयों अथवा ऐसे पदार्थों के अन्य वर्गों के जिले के किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय या विक्रय के लिये प्रदर्शन या उसमें आयात अथवा उससे निर्यात को रोकना ;

(ख) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य अथवा पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना ;

(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल या ऐसे स्थान में जो किन्हीं खाद्य अथवा पेय पदार्थ विक्रय भण्डारकरण अथवा मुफ्त वितरण के लिये उपयोग में लाया जाता है प्रवेश करने बारे ऐसे पदार्थों की जांच करने और यदि वह अस्वास्थ्यकर पाये जायें तो जब्त करने, हटाने, नष्ट करने या उसे किसी भी ऐसे तरीके से जैसा वह उचित समझें समाप्त कराने के लिये प्राधिकृत करना ताकि उसे मानवों के उपयोग आने से रोका जा सके ;

(घ) सभी प्रयोजनों के लिये जल की सप्लाई हेतु उपयुक्त स्थान पृथक करना और किसी अन्य स्रोत से जल के उपयोग का निषेध करना और उस स्रोत का जिससे ऐसी जल सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, समय, रीति तथा शर्तें नियमित करना ;

(ङ) किसी बर्फ के कारखाने या बाति जल या खनिज जल कारखाने को बन्द करने के आदेश देना ;

(च) स्नान के लिये उपयुक्त स्थान पृथक करना और महिलाओं तथा पुरुषों के लिये, जिनके द्वारा ऐसे स्थानों को उपयोग में लाया जा सकता है अलग-अलग समय निर्दिष्ट करना ;

(छ) पशुओं को नहलाने और कपड़े धोने के लिये या जनता के स्वास्थ्य, सफाई अथवा सुविधा से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजनों के लिये स्थान पृथक करना ;

(ज) खण्ड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सामान्यत: भिन्न स्नान करने की अथवा ऐसे प्रयोजन के लिये नियत किये गये स्थानों से भिन्न स्थान पर पशुओं के नहलाने या कपड़े धोने को रोकना ;

(झ) अलगाव शिविरों, अस्पतालों और चिकित्सा निरीक्षण चौकियों की स्थापना करना ;

(ञ) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित व्यक्ति को अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना ;

(ट) जिले में किसी मेले के आयोजन को रोकना ;

(ठ) यह आदेश देना कि कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्ति, टीका लगवायेंगे, अवयस्कों के मामले में आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे और तब ऐसे सभी व्यक्तियों को टीका लगवाने अपेक्षित होंगे ।

(II) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, सभी नगरपालिका चिकित्सा अधिकारियों, सरकारी या स्थानीय निकाय अस्पतालों और औषधालयों (डिस्पैंसरियों) के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों, सरकारी खाद्य निरीक्षकों, वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों, स्वास्थ्य निरीक्षकों, सहायक यूनिट अधिकारियों, सहायक मलेरिया अधिकारियों और सभी मैजिस्ट्रेटों को उनके अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य या पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश करना ;

(ख) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित अथवा पीड़ित होने की संभावना वाले व्यक्ति को हट वाने और अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना ;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के आदेश देना, जिसे उनकी राय में छूत होने का डर हो (अवस्यकों के मामले में ये आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे) ;

(घ) संक्रामक यकृत विकार के रोगियों का पता लगाने अथवा उस बीमारी का टीका लगवाने या रोगाणुनाशन के प्रयोजनार्थ किसी भी परिसर में प्रवेश करना ;

(ङ) किन्हीं नालियों, परिसरों, शौचालयों, वस्त्रों, बिस्तरों या किसी अन्य वस्तु जो को उनकी राय में रोगाणुग्रस्त है या जिससे रोगाणुओं के फैलने की संभावना है सफाई या उसके रोगाणुनाशन के और किसी भी वस्तु घृणोत्पादक सामग्री, कूड़ाकर्कट, बिष्ठा, गोबर या किसी प्रकार की गन्दगी को हटाने और उसे समाप्त करने अथवा उपयुक्त रोगाणुनाशकों (disinfectants) को प्रयोग में लाने के आदेश देना ;

(च) पीने के पानी को सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की सप्लाई के क्लोरीकरण का आदेश देना ।

(III) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उनके अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) जब भी जिला में संक्रामक यकृत विकार फैलने का डर हो तो नगरपालिका क्षेत्रों एवं पंचायत समितियों के अधीन क्षेत्रों के लिये विद्यमान पद संख्या से दुगने पदों तक महतरों या सफाई मजदूरों, सफाई निरीक्षकों या वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों के पद बनाना और उक्त पदों को जिले के संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से मुक्त होने की घोषणा की तिथि से एक मास तक अस्थाई रूप में भरना और यह आदेश देते हैं कि घर का मुखिया या घर का कोई व्यस्क सदस्य ;

(ख) प्रत्येक पंजीकृत प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी जिसे किसी घर में संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) होने का ज्ञान हो, इसकी सूचना इसके पता लगने से चौबीस घण्टे के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच को या उसके न होने पर गांव के नम्बरदार को या किसी स्थानीय अस्पताल/औषधालय के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी को या नगर-पालिका के सचिव को देगा जिनके अधिकार-क्षेत्र में वह रहता है या व्यवसाय करता है जो बाद में मामले की रिपोर्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देने का जिम्मेदार होगा ;

(ग) यह निर्देश देते हैं कि खण्ड (I) के अधीन सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जारी किया गया कोई आदेश उस स्थानीय क्षेत्र में तब तक लागू रहेगा जब तक ऐसा स्थानीय क्षेत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सरकारी तौर पर संक्रामक यकृत विकार से मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता । यह निर्देश देते हैं कि इस आदेश के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये गये किसी उपाय की लागत उस पंचायत समिति या नगरपालिका द्वारा जुटाई जायेगी जिसके अधिकार-क्षेत्र में ऐसा उपाय किया जाये और इसकी वसूली करने के लिये हरियाणा द्वारा खजाने में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण की निधियों के बकायों में से कटौती द्वारा की जा सकती है ।

यह आदेश इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 1989 तक लागू रहेगा।

रघबीर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।